अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता/ई-मेल
संख्या-2183/आठ-3-2024

प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

2. जिलाधिकारी,
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2024

विषयः-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित किये जाने से पूर्व विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा अनिवार्यतः प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-3038/आठ-3-2022 दिनांक 29.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत स्थित किसी भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोग के लिए घोषित किये जाने से पूर्व संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करने के संदर्भ में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (यथा-संशोधित-2019) की धारा-80(8) का अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त शासनादेश में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (यथा संशोधित-2019) की धारा-80(1) के संदर्भ में किये गये उल्लेख एवं धारा-80(1) के वास्तविक प्राविधान में आंशिक भिन्नता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश के अनुपालन में आ रही कठिनाई के निराकरण के उद्देश्य से उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29.12.2022 को निरस्त करते हुए तथा विकास प्राधिकरण/विशेष विकास क्षेत्रान्तर्गत उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित-2019) की धारा-80(8) के प्राविधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन कराये जाने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विकास प्राधिकरण/विशेष विकास क्षेत्रान्तर्गत स्थित किसी भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित किये जाने से पूर्व उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित-2019) की धारा-80(8) के आलोक में संबंधित विकास प्राधिकरण/विशेष विकास क्षेत्र से पूर्व अनुज्ञा

अनिवार्यतः प्राप्त की जाये ताकि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माण की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

कृपया उपर्युक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/आठ–3–2024–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनु सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांकः 039 /आर0ए0द्वितीय/2024 दिनांक : 18/11.2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित है कि शासन के पत्र दिनांक–11.11.2024 में दिये गये निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

1–उपजिलाधिकारी,सदर/मोदीनगर/लोनी।

प्रभारी अधिकारी (वाद)/
कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद।